राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा

जबकि, सेंट क्लेयर काउंटी और वाशिंगटन काउंटी के क्षेत्रों में सोमवार 25 जुलाई, 2022 से बुधवार 27 जुलाई, 2022 तक 10 इंच से अधिक वर्षा हुई, जिसके कारण अलग-अलग आकस्मिक बाढ़ की घटना हुई; और,

जबकि, आकस्मिक बाढ़ के कारण सेंट क्लेयर काउंटी में रोड बंद हो गए और स्थानीय लोगों को निकालना पड़ा; और,

जबकि, अत्यधिक वर्षा के बाद, वाशिंगटन काउंटी में नैशविले जलाशय पर बना सहायक डैम विफल रहा और कई घरों में बाढ़ आने तथा स्टेट रूट 15 के रोड बंद होने का कारण बना; और,

जबकि, 29 जुलाई, 2022 को बाढ़ पूर्वी सेंट लुइस (सेंट क्लेयर काउंटी) में जारी रहा और जिसके कारण जीवन रक्षा के उपाय किए गए, जिसमें तकरीबन 100 निवासियों को खाली कराया जाना शामिल है; और,

जबकि, विस्थापित निवासियों के लिए आश्रय (रहने) की व्यवस्था की जा रही है; और,

जबकि, पूर्वी सेंट लुइस, सेंट क्लेयर काउंटी, वाशिंगटन काउंटी और उसके निवासी क्षतियों की मरम्मत करने और आकस्मिक बाढ़ की घटना से उबरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं; और,

जबकि, इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर, स्थानीय संसाधन एवं समर्थता छिन्न हो गई है और आकस्मिक बाढ़ के प्रभावों से उबरने और जरूरी कदम उठाने के लिए राज्य संसाधनों की आवश्यकता है; और,

जबकि, बाढ़ से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण, इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम के अनुभाग 4 के अंतर्गत जीवन या संपत्ति की व्यापक या गंभीर क्षति, चोट, या हानि हुई है या होने का जोख़िम का उत्पन्न हुआ है; और,

जबकि, इलिनॉय राज्य की यह नीति है कि राज्य किसी भी आपदा को संभालने के लिए तैयार रहेगा और, इसलिए इलिनॉय के नागरिक को संरक्षित और सुरक्षित बनाए रखना सुनिश्चित करने के लिए राज्य के अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराना आवश्यक और उचित है; और,

जबकि, ये स्थितियां इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम के अनुभाग 7 के अंतर्गत आपदा की उद्घोषणा जारी करने का विधिक औचित्य प्रदान करती हैं; और,

जबकि, इलिनॉय का संविधान, अनुच्छेद V के, अनुभाग 8 में, यह कहता है कि "राज्यपाल के पास सर्वोच्च कार्यकारी शक्ति होगी, और वह कानूनों के न्यायसंगत निष्पादन के लिए जिम्मेदार होगा," और प्रस्तावना में

कहता है कि, इलिनॉय के संविधान का केंद्रीय उद्देश्य "लोगों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के लिए कार्य करना" है;

अब, **इसलिए**, इलिनॉय के नागरिकों और लोक स्वास्थ्य व सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी स्थानीय सरकारों की सहायता के हित में, मैं, जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), इलिनॉय का राज्यपाल (गवर्नर), इसके द्वारा निम्नगत उद्घोषणा करता हूं:

अनुभाग 1: इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम, 20 ILCS 3305/7 के अनुभाग 7 के उपबंधों के अनुसरण में, मैं यह पाता हूं कि इलिनॉय राज्य में एक आपदा मौजूद है और मैं विशिष्ट रूप से सेंट क्लेयर काउंटी और वाशिंगटन काउंटी को आपदा क्षेत्र घोषित करता हूं। यह उद्घोषणा, इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम, 20 ILCS 3305/7 के अनुभाग 7 में प्रदत्त समस्त आपातकालीन शक्तियों, जिनमें नीचे वर्णित विशिष्ट आपातकालीन शक्तियां शामिल हैं पर उन्हीं तक सीमित नहीं हैं, के इस्तेमाल के प्राधिकार की अनुमति देती है।

अनुभाग 2. इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण को यह निर्देश दिया जाता है कि वह आपदा प्रतिक्रिया और बहाली कार्यक्रमों में स्थानीय सरकारों की सहायता हेतु राज्य के संसाधनों का समन्वयन करने के लिए राज्य आपातकालीन संचालन योजना कार्यान्वित करे।

अनुभाग 3. प्रतिक्रिया हेतु आवश्यक आपातकालीन खरीद, और इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम द्वारा यथा अधिकृत अन्य आपातकालीन शक्तियों के संबंध में सहायता प्रदान करने के लिए, इलिनॉय अधिप्राप्ति संहिता (प्रोक्योरमेंट कोड) के वे उपबंध जो आपदा का सामना करने में आवश्यक कार्रवाई को किसी भी प्रकार से रोकते, बाधित करते, या विलंबित करते हों, उस सीमा तक स्थगित किए जाते हैं जिस सीमा तक वे संघीय कानून द्वारा आवश्यक नहीं किए गए हैं। आवश्यक होने की स्थिति में, और इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम, 20, ILCS 3305/7(1) के अनुभाग 7(1) के अनुसरण में, राज्यपाल (गवर्नर) अतिरिक्त संविधियों, आदेशों, नियमों, और विनियमों को स्थगित करने के लिए उपयुक्त कार्यकारी कार्रवाई कर सकता है।

अनुभाग 4. इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम, 20, ILCS 3305/7(3) के अनुभाग 7(3) के अनुसरण में, यह उद्घोषणा राज्यपाल (गवर्नर) के, आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रमों को निष्पादित या सुगमित करने के उद्देश्य से राज्य के विभागों और उनके अभिकरणों या इकाइयों के निर्देश, कार्मिकों या कार्यों को स्थानांतरित करने के प्राधिकार को, आवश्यकतानुसार, सक्रिय करती है।

अनुभाग 5. राज्य के सभी अभिकरणों (एजेंसियों) को यह निर्देश दिया जाता है कि वे मौजूदा आपदा का सामना करने और उससे उबरने की रणनीतियों एवं योजनाओं के विकास एवं कार्यान्वयन में राज्यपाल (गवर्नर), अन्य राज्य अभिकरणों और स्थानीय प्राधिकरणों का सहयोग करें।

अनुभाग 6: यह उद्घोषणा संघीय आपदा सहायता के अनुरोधों को सुगम कर सकती है, बशर्ते कि क्षति का पूर्ण व व्यापक आकलन यह इंगित करे कि प्रभावी बहाली राज्य और प्रभावित स्थानीय सरकारों की क्षमताओं से परे है।

अनुभाग 7: यह उद्घोषणा तत्काल प्रभावी होगी और 30 दिनों तक प्रभावी रहेगी।

जिसे साक्षी मानकर, मैंने इस दस्तावेज़ पर मेरे हस्ताक्षर किए हैं और इलिनॉय राज्य की महान मोहर लगवाई है।

इस कार्य को हमारे परमेश्वर के दो हज़ार बाईसवें वर्ष, और इलिनॉय राज्य के दो सौ चारवें वर्ष में, तथा जुलाई के 29वें दिन, स्प्रिंगफ़ील्ड शहर में विधायिका व कार्यपालिका भवन (कैपिटल) में संपन्न किया गया।

राज्य के सचिव

गवर्नर